


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2015/चैत्र 9, 1937

No. 182]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2015/CHAITRA 9, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2015

सा.का.नि. 233(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क विभाग सिपाही, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2002 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क विभाग हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में हवलदार और प्रधान हवलदार के समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा उससे संबद्ध वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हता आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता तथा उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु प्रत्येक आयुक्तालय का अपना पृथक काडर तब तक नहीं होगा जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क द्वारा अन्यथा विहित नहीं कर दिया गया हो।

5. निरर्हता—वह व्यक्ति—

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, अथवा
- (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
हवलदार	8690* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए निमत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य टिप्पण - अभ्यर्थियों के पास नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शारीरिक मापदण्ड होने चाहिए तथा उन्हें शारीरिक मापदण्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी; अर्थात् :- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए : शारीरिक मापदण्ड (न्यूनतम) लम्बाई - 157.5 से.मी. (गढ़वालियों, असमियों, गोरखों एवं अनुसूचित जन जातियों के मामले में 5 से. मी. तक शिथिल की जा सकती है) सीना - 81 से. मी. (न्यूनतम 5 से. मी. फुलाव के साथ पूरी तरह फूला हुआ)

सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	शारीरिक परीक्षण : पैदल चलना - 15 मिनट में 1600 मीटर साईकल चलाना - 30 मिनट में 8 कि. मी.
	महिला अभ्यर्थियों के लिए : शारीरिक मापदण्ड (न्यूनतम) लम्बाई - 152 से.मी.। वजन - 48 कि.ग्रा। गड्ढवालियों, असमियों, गोरखों एवं अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए लम्बाई 2.5 से. मी. तथा वजन 2 कि.ग्रा. तक शिथिल किया जा सकता है। शारीरिक परीक्षण : पैदल चलना - 20 मिनट में 1 कि. मी. साईकल चलाना - 25 मिनट में 3 कि. मी.

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
11
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (i) मुख्यालय में ज्येष्ठतम अपर आयुक्त - अध्यक्ष (ii) मुख्यालय में ज्येष्ठतम अपर अथवा संयुक्त आयुक्त - सदस्य; (iii) अपर आयुक्त आयुक्त - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हैड हवलदार	6500* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12	13
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	वेतन बैंड-1 5200 - 20200/- रूपए + ग्रेड वेतन 1800/- रूपए में ऐसा हवलदार जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (i) मुख्यालय में ज्येष्ठतम अपर आयुक्त —अध्यक्ष (ii) मुख्यालय में अपर अथवा संयुक्त आयुक्त —सदस्य (iii) अपर आयकर आयुक्त —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/06/2010- प्रशासन-3 बी]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2015

G.S.R. 233(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Excise and Customs Department Sepoys, Havaladar and Head Havaladar (Group "D" posts) Recruitment Rules, 2002 and the Central Excise and Customs Department Havaladar and Head Havaladar (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group "C" posts of Havaladar and Head Havaladar in the Central Excise and Customs under the control of Central Board of Excise and Customs namely:—

1 Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department, Havaladar and Head Havaladar (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classifications, pay and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of Recruitment, Age limit, other qualification etc.—The method of Recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

Provided that each Commissionerate shall have its own separate cadre unless otherwise prescribed by the Central Board of Excise and Customs.

5. **Disqualification.**—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the basis post.

Provided that the Central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt a person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reason to be recorded in writing, relax any or the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations, age limits and other concessions required to be provided of or the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Havaladar	8690*(2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Pay Band -I, Rs. 5200-20200/- Plus grade pay of Rs. 1800/-.	Not Applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Nagaland Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andman and Nicobar, Island and Lakshadweep.	Matriculation or equivalent from any recognised Board. Note.- Candidates will be required to possess the physical standards and pass physical test as specified below, namely:- For Male Candidates : Physical standard (minimum) Height -157.5 Cms (relaxable by 5 Cms in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Schedule Tribes) Chest -81 Cms, (fully expanded with minimum expansion of 5 Cms) Physical Test : Walking -1600 Meters in 15 minutes Cycling -8 Kms in 30 minutes. For Female Candidates: Physical standard (minimum) Height-152 Cms Weight: 48 Kgs. Height relaxable by 2.5 Cms and weight by 2 kgs. in case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Schedule Tribes Physical Test: Walking -1 km in 20 minutes Cycling -3 kms in 25 minutes.

1437 8/7/15-2

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotes.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation /absorption, grades form which promotion/ deputation /absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Group 'C' Department confirmation Committee: (i) Senior most Additional commissioner at Headquarters -Chairman (ii) Senior most Additional or joint commissioner, Headquarters -Member (iii) Additional Commissioner of Income Tax- Member.	Not Applicable.


2. Head Halvaldar	6500*(2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non - Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200 - 20200/- with grade pay of Rs.1900/-	Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
-------------------	--	---	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

100% by promotion	Havaldar in Pay Band -1 Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs.1800/- with three years of regular service in the grade .				Group "C" Department promotion Committee: (i) Senior most Additional Commissioner at Head quarter -Chairman (ii) Additional or Joint Commissioner at Headquarters -Member (iii) Additional Commissioner of Income Tax Member.	Not Applicable.
-------------------	---	--	--	--	--	-----------------

[F. No. A-12018/06/2010-AD.III B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

F.No.A.12018/06/2010.AD.III.B
 GOVERNMENT OF INDIA
 MINISTRY OF FINANCE
 DEPARTMENT OF REVENUE
 CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS



Gr. Floor, Hudco Vishala Building,
 Bhikaji-Cama Place, New Delhi,
 Dated the 21 March, 2016

714/28/3/2016

To,

All the Cadre Controlling Authorities
 under Central Board of Excise and Customs

Subject: Amendment in Notification of Recruitment Rules for the post of Havaladar
 and Head Havaladar -regarding.

Sir/ Madam,

I am directed to forward a Corrigendum (Hindi Version) published in the Extra-ordinary Gazette of India vide G.S.R. No. 288 (E) dated 10.03.2016 as an amendment was needed in the Hindi version of the original Gazette Notification of the RRs for the posts of Havaladar and Head Havaladar published vide G.S.R. No. 233 (E) dated 30.03.2015.

2. In this regard, all the CCAs are informed and requested to take further necessary action in this matter.

Yours faithfully,

Encls.: As Above

[Signature]
 21-3-16

(Rajpal Singh)
 Under Secretary to the Govt. of India
 Tel./Fax No. : 26162780

Copy to: (ii) Webmaster, DG and Systems for uploading on website.
 (iii) DGHRD for information and record.

[Signature]
 21-3-16

(Rajpal Singh)
 Under Secretary to the Govt. of India

-189-


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2016/फाल्गुन 20, 1937

No. 155]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2016/ PHALGUNA 20, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2016

सा.क.नि. 288(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 30 मार्च, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 233 (अ) तारीख 30 मार्च, 2015 के हिन्दी पाठ में पृष्ठ 2 पर पंक्ति एक और दो के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :-

"परन्तु प्रत्येक आयुक्तालय का अपना पृथक काडर तब होगा जब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा विहित नहीं कर दिया गया हो "।

[फा. सं. ए-12018/06/2010-प्रशासन-3 वी]

राजपाल सिंह, अवर सचिव